न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 36 / 2017

1. हरमनजोत सिंह ग्रेवाल उम्र 17 वर्ष, } पुत्रगण हरमन्दर सिंह जाति जटसिख नाबालिगान
2. करमनप्रीत सिंह उम्र 14 वर्ष } जरिये कुदरती वलीमाता हरदीप कौर पत्नी हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. मुखत्यार सिंह उर्फ प्यारासिंह पुत्र जोरासिंह } जाति जटसिख निवासीयान गांव दौलतपुरा
2. हरमन्दरसिंह पुत्र श्री मुखत्यारसिंह } तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. रिछपाल सिंह पुत्र मुखत्यारसिंह
4. सुखविन्द्र कौर {पुत्री मुखत्यार सिंह} पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम उस्मान खेड़ा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 08.04.2017**

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 6 एच बड़ा पटवार हल्का संगतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 42/29 के मुरब्बा नम्बर 3, 9, 10, 14, 20, 22, 39 की कुल कृषि भूमि में से 10.734 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के दादाजी/प्रतिवादी संख्या 1 मुखत्यार सिंह पुत्र जोरासिंह के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। उक्त कृषि भूमि, वादीगण के पड़दादाजी जोरासिंह पुत्र सुन्दरसिंह के नाम सम्वत् 2031 में जमाबन्दी मुताबिक दर्ज थी जो पारिवारिक बंटवारानामा में प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई तथा नाम संशोधन के इन्तकाल संख्या 117 दिनांक 23.04.2005 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मुखत्यारसिंह पुत्र जोरासिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई।

वादीगण के दादाजी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उक्त कृषि भूमि वादीगण के पड़दादाजी जोरासिंह पुत्र सुन्दरसिंह से पारिवारिक बंटवारा अनुसार प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है। वादीगण का इस भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। चक 6 एच बड़ा की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 42/29 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2031 तथा इन्तकाल 117 दिनांक 23.04.2005 की प्रमाणित प्रतिलिपीयां संलग्न दावा है।

वादीगण के पिताजी व वादीगण के दादाजी ने वादीगण के साथ हुए पारिवारिक समझौता अनुसार चक 6 एच बड़ा के वर्तमान खाता संख्या 42/29 में प्रतिवादी संख्या 1 मुखत्यारसिंह के नाम दर्ज 10.734 हैक्टर कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू विभाजन किया :–

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
हरमनजोत सिंह ग्रेवाल, करमनप्रीत सिंह पिसरान हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) बहिस्सा बराबर	चक 6 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 42/29 के मुरब्बा नम्बर 3, 9, 10, 14, 20, 22, 39 में मुखत्यारसिंह पुत्र जोरासिंह के नाम दर्ज 10.734 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.795 हैक्टर कृषि भूमि
मुखत्यार सिंह पुत्र जोरासिंह जाति जटसिख निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)	चक 6 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 42/29 के मुरब्बा नम्बर 3, 9, 10, 14, 20, 22, 39 में मुखत्यारसिंह पुत्र जोरासिंह की 6.939 हैक्टर कृषि भूमि

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 मुखत्यारसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 षडयन्त्रपूर्वक वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की वादीगण को धमकिंया देते रहते है ।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 षडयन्त्र करके उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादीगण को दिनांक 28.02.2017 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये है । यही बिनाय मुखास्मत है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के दादाजी, प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण के पिताजी होने के कारण आवश्यक पक्षकार है तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्री होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाये गये है ।

अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. चक 6 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 42/29 के मुरब्बा नम्बर 3, 9, 10, 14, 20, 22, 39 में मुखत्यारसिंह पुत्र जोरासिंह के नाम दर्ज 10.734 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.795 हैक्टर कृषि भूमि हरमनजोत सिंह ग्रेवाल, करमनप्रीत सिंह पिसरान हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर (राज.) की बहिस्सा बराबर बराबर घोषित की जावे।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादीगण के हित में समझे दिलवाया जावे।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 07.04.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया। A7/3

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार चक 6 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 42/29 के मुरब्बा नम्बर 3, 9, 10, 14, 20, 22, 39 में मुखत्यारसिंह पुत्र जोरासिंह के नाम दर्ज 10.734 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.795 हैक्टर कृषि भूमि हरमनजोत सिंह ग्रेवाल, करमनप्रीत सिंह पिसरान हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर (राज.) को बहिस्सा बराबर दी हुई है।

अतः चक 6 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 42/29 के मुरब्बा नम्बर 3, 9, 10, 14, 20, 22, 39 में मुखत्यारसिंह पुत्र जोरासिंह के नाम दर्ज 10.734 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.795 हैक्टर कृषि भूमि हरमनजोत सिंह ग्रेवाल, करमनप्रीत सिंह पिसरान हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर (राज.) की बहिस्सा बराबर घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई. आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई. आर.1966 (एस.सी..) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 6 एच बड़ा के खाता संख्या 42/29 की 10.734 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो विरास्तन प्राप्त है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के चक 6 एच बड़ा तहसील श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 42/29 के मुरब्बा नम्बर 3, 9, 10, 14, 20, 22, 39 में मुखत्यारसिंह पुत्र जोरासिंह के नाम दर्ज 10.734 हैक्टर कृषि भूमि में से 3.795 हैक्टर कृषि भूमि हरमनजोत सिंह ग्रेवाल, करमनप्रीत सिंह पिसरान हरमन्दर सिंह जाति जटसिख निवासीयान गांव दौलतपुरा तहसील श्रीगंगानगर (राज.) की बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर